लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र0/शि.क./ए + डी /अजिनि संवि./27/2008/ 60 भोपाल, दिनांक 27/8/08

:: **आदेश** ::

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमाक एफ1–49/2008/20–1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक–8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम–2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम–3 तथा तालिका के कालम–4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :–

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण–पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती लता मालवीय वरिष्ठ अध्यापक (अर्थशास्त्र) शा. उमावि शिवपुर जिला–रतलाम	जिला पंचायत रतलाम जिला–रतलाम जा.क्र. 5690, दिनांक 25.06.08	जिला पंचायत इन्दौर जिला–इन्दौर जा.क्र. 5556, दिनांक 09.07.08 शा. उमावि हांसलपुर

संविलियन की शर्ते –

1. यह अनुमति तालिका के कालम–4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम–4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम–4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों।
4. तालिका के कालम–4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम–3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।

6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम–4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।

7. वरि.अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।

8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षको की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।

9. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरूद्व कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व होने अथवा उक्त शर्तो की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।

10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी ।

11. तालिका के कालम–3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

27/8/08
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र0/शि.क./ए + डी /अजिनि संवि./27/2008/ 61 भोपाल, दिनांक 27/8/08

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. जिला कलेक्टर, रतलाम एवं इन्दौर मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकरी, जिला–पंचायत, रतलाम एवं इन्दौर मध्यप्रदेश ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रतलाम एवं इन्दौर मध्यप्रदेश ।
6. श्रीमती लता मालवीय, वरिष्ठ अध्यापक (अर्थशास्त्र) शा. उमावि शिवपुर, जिला–रतलाम मध्यप्रदेश ।

27/8/08
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./अध्या.संवर्ग/एडी/संवि./28/2008/ 62 भोपाल, दिनांक 27.08.08

:: संशोधन ::

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्र./अध्या.संवर्ग/ए/संवि./014/ 2008/ 999–1000, दिनांक 02.08.2008 के द्वारा अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति जारी की गई थी। उल्लेखित आदेश के स.क्र. 23 पर अंकित श्रीमती प्रियंका गुप्ता, अध्यापक, शा. मावि मडार, जनपद लौड़ी, जिला–छतरपुर से जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई), जिला–ग्वालियर के अन्तर्गत शा. प्रावि अजयपुर में संविलियन की अनुमति दी गई थी ।

2/ उक्त प्रकरण में जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई) जिला–ग्वालियर के पत्र क्र. 1787, दिनांक 22.08.08 के द्वारा अवगत कराया गया है कि शा. मावि अजयपुर पद रिक्त नही होने के कारण शा. मावि बरई/नयागांव/तुलुआ का पुरा एवं ओडपुरा में संविलियन की अनुमति हेतु लिखा गया है ।

3/ अतः एतद् द्वारा संचालनालय के उल्लेखित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये शा. मावि अजयपुर के स्थान पर शा. मावि बरई/नयागांव/तुलुआ का पुरा एवं ओडपुरा पढ़ा जावे ।

शेष आदेश यथावत् रहेगा ।

27/8/08
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र./अध्या.संवर्ग/एडी/संवि./28/2008/ 63 भोपाल, दिनांक 27.08.08
प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला–छतरपुर एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–पंचायत, छतरपुर एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, छतरपुर एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लौड़ी, जिला–छतरपुर मध्यप्रदेश ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घाटीगांव जिला–ग्वालियर मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

6. संबंधित –श्रीमती प्रियंका गुप्ता, अध्यापक, शा. मावि मडार, जनपद लौड़ी, जिला–छतरपुर की ओर सूचनार्थ ।

27/8/08
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश